(134)

संख्या–1029/XVIII(II)/2011–3(44)/11

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 अगस्त, 2011

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप, ग्राम डाण्डा लखौण्ड युद्ध में शहीद हुए गढ़वाल राईफल रेजीमेन्ट के वार विधवाओं के लड़के व लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु, ग्राम डाण्डा लखौण्ड, जिला देहरादून में 1.6940 है0 भूमि, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1931/12 ए0–106 (2008–11), दिनांक–6.4.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप, ग्राम डाण्डा लखौण्ड युद्ध में शहीद हुए गढ़वाल राईफल रेजीमेन्ट के वार विधवाओं के लड़के व लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु, ग्राम डाण्डा लखौण्ड, जिला देहरादून में 1.6940 है0 भूमि, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक–15.02.02 के दृष्टिगत, खसरा संख्या 276 ख मि0 एवं 277 छ मि0 के अधीन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या–1029 /समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय। ✓
4– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।